न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—377 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 377)

1. श्री बहादुर खान पुत्र स्व0 श्री मंगला, जाति चीता, आयु लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम रातीडांग तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री बृजलाल
2. श्री पारसमल पुत्र श्री बंशीलाल
3. श्री संजय कुमार पुत्र श्री बंशीलाल
   समस्त जाति विश्नोई, निवासी ग्राम खाजूवाला, जिला बीकानेर।
4. उमदा तथाकथित पुत्री ज्वारा पत्नी मंगला हाल फौत
   4 / 1 श्री मोहन पुत्र मंगला
   4 / 2 श्री छोटू पुत्र मंगला
   4 / 3 श्री इब्राहिम पुत्र बीरम पौत्र मंगला
   4 / 4 श्रीमती मदीना पुत्री बीरम पौत्री मंगला
   समस्त जाति चीता, निवासी पाबूथान तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
   4 / 5 श्रीमती सुबीना पुत्री मंगला पत्नी ईदा, जाति चीता, निवासी अजबा का बडिया, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
   4 / 6 श्रीमती रतहमी पुत्री मंगला पत्नी बाबू, जाति चीता, निवासी कासिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
   4 / 7 श्रीमती राधा पुत्री मंगला पत्नी सुबा
   4 / 8 श्रीमती सीता पुत्री मंगला पत्नी पप्पू
   4 / 9 श्रीमती मीरा पुत्री मंगला पत्नी तेजू
   समस्त जाति चीता, निवासी मोतीपुरा, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
5. श्रीमती सोहनी पत्नी बाबू
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री बाबू
7. श्रीमती रजिया पुत्री बाबू (ना0बा0)
8. श्री बरकत अली पुत्री बाबू (ना0बा0)
   समस्त जाति चीता निवासी रातीडांग वैशाली नगर, अजमेर।
9. श्री अनिरूद्ध विश्नोई पुत्र सुनील, निवासी क्राउन प्लाजा सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2025 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजेमर, राजस्व वाद संख्या 305 / 2022.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवडा, खेमसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4 से 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—24.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 305/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 15.07.2025 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 305/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4 से 9 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी पर निवेदन किया कि प्राथी द्वारा उपरोक्त उनवान अपील सहायक कलक्टर मु० अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 305/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध ठोस आधारों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिसमें प्रार्थी की पूर्ण सफलता निहित करती है। प्रकरण में वर्णित भूमि लिखित किरायानामा दिनांक 18.11.1976 के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज होकर अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है, जिस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा सिविल वाद संख्या 113/2024 एवं अस्थायी निषेद्याज्ञा प्रार्थना—पत्र संख्या 94/2024 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 02 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसमें प्रार्थना—पत्र सं. 94/2024 का निर्णय दिनांक 30.01.2025 को हो चुका है, तथा नामान्तकरण संख्या 139 दिनांक 07.04.2000 के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील संख्या 46/2024 विचाराधीन है, इस प्रकार अपीलान्ट सहायक कलक्टर मु० अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 305/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 से व्यथित, प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से आदेश दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु यह प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में वर्णित अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं कानून, न्याय व समानता प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रस्तुत अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर मुकाम अजमेर द्वारा प्रकरण सं० 305/2022 उनवानी जगदीश बनाम उमदा आदि में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2021 पर पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध न्यायालय में बहादुरखां द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है क्योंकि बहादुर खां न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी था और न ही प्रकरण में प्रतिवादी तथा उसके द्वारा एवं उसके विरूद्ध न तो कोई अनुतोष चाहा गया था और न ही कोई अनुतोष मांगा गया था। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णय व डिकी 6388/2011 दिनांक 14.11.2019 में भी बहादुर खां पक्षकार नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि न तो बहादुर खां के द्वारा कोई दावा प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त की गयी और न ही बहादुर खां के विरूद्ध कोई निर्णय व डिक्री पारित की गयी इसलिये धारा 144 सीपीसी के प्रकरण में वह पक्षकार ही नहीं हो सकता है न ही उसके द्वारा कोई अपील की जा सकती है। उक्त प्रकरण में पूर्व में उमदा तथाकथित पुत्री जवारां द्वारा वाद सं० 60/2006 अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 का प्रार्थी जगदीश चन्द्र आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 29.04.2010 को डिक्री करते ग्राम नौसर जिला अजमेर स्थित खसरा नं0 73 रकबा 3–09 बीघा भूमि का खातेदार वादीया उमदा को घोषित कर दिया गया, जिसकी पालना में वादीया द्वारा नामांतरकरण सं० 878 दिनांक 31.05.2010 स्वीकृत कर दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2010 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रार्थी जगदीशचन्द्र द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 06.09.2011 को निरस्त हो गयी तत्पश्चात द्वितीय अपील 6388/2011 जगदीशचन्द्र बनाम उमदा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 से अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2010 तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2011 को निरस्त कर दिया और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को पुनः नये सिरे से साक्ष्य सुनवाई का अवसर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2010 को खारिज कर दिया था जिस कारण जो नामांतरकरण सं० 73 रकबा 3–09 बीघा ग्राम नौसर का डिक्री की पालना में दर्ज किया गया था उसे निर्णय व डिक्री निरस्त हो जाने से उसके पूर्व की स्थिति राजस्व रेकार्ड में बहाल किये जाने हेतु प्रार्थी जगदीशचन्द्र द्वारा धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो बाद में न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष स्थानान्तरित कर दिया गया, उक्त प्रकरण में जब बहादुर खां का वादपत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही डिक्री की पालना में उसके नाम नामांतरकरण दर्ज हुआ था इसलिये वह मूल वादपत्र व डिक्री की अपीलों में पक्षकार नहीं था इसलिये धारा 144 के प्रकरण में भी वह पक्षकार संयोजित किये जाने का अधिकारी नहीं बनता है और न ही धारा 144 सीपीसी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का ही कोई अधिकार प्राप्त है इसलिये अपील निरस्तनीय है। बहादुर खां द्वारा अपने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में पैरा सं० 2 में लिखा है कि उक्त वर्णित भूमि में

किरायानामा के आधार पर वह कब्जा काश्त में चला आ रहा है इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है जबकि राजस्व न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण निर्णित हुआ वह किरायेदारी से संबंधित नहीं था और न ही किरायेदारी की डिक्री पारित की गयी थी इस प्रकरण में न तो उमदा द्वारा खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित की गयी थी जिसके आधार पर नामांतरकरण सं0 73 उमदा के नाम दर्ज हुआ था उक्त निर्णय व डिक्री माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की जा चुकी है इसलिये धारा 144 के तहत दावा दायरी के समय की रेकार्ड की स्थिति बहाल किये जाने के प्रावधान है और उसी आधार पर सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा धारा 144 सीपीसी स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है और राजस्व न्यायालय को किरायेनामा के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है और इसी आधार पर अपील भी प्रस्तुत करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है इस कारण बहादुर खां को धारा 144 सीपीसी के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। बहादुरखां द्वारा अपने पैरा सं0 2 में यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा सिविल वाद सं० 113/2024 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं० 94/2024 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं० 2 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसमें प्रार्थना पत्र 94/2024 का निर्णय दिनांक 30.01. 2025 को हो चुका है। बहादुर खां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थना पत्र सं० 94/2024 दिनांक 30.01.2025 का निर्णय क्या हुआ और उसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का कोई संबंध था अथवा नहीं तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत कर स्थगन बहादुर खां द्वारा लिया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो बहादुर खां को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है इसलिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अपने इसी पैरा में नामांतरकरण सं० 139 दिनांक 07.04.2000 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष लंबित होने का भी हवाला दिया है वह भी धारा 144 सीपीसी के प्रकरण से संबंधित नहीं है क्योंकि यहां धारा 144 सीपीसी में न्यायालय को केवलमात्र पूर्व में पारित डिक्री की पालना में दर्ज नामांतरकरण सं0 73 की जांच की जानी थी क्योंकि उक्त डिक्री को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसे में डिक्री निरस्त हो जाने से उसकी पालना में दर्ज नामांतरकरण भी स्वतः ही निरस्त हो चुका है जिसे रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया गया था और उसकी विधिवत सुनवाई एवं जांच करने के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है इसलिये अन्य किसी नामांतरकरण का हवाला इस प्रकरण में देने से बहादुर खां को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता है इसलिये बहादुर खां को भी अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण सं० 305/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 की पालना में राजस्व रेकार्ड में दावा दायरी से पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी है अर्थात धारा 144 सीपीसी के निर्णय की पालना भी हो चुकी है और वादी अथवा उसके परिवार की ओर से कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसे में अन्य तीसरे व्यक्ति को पालना हो जाने के पश्चात चुनौती दिये जाने का नया अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि उपरोक्त दर्शित तथ्यों के अनुसार धारा 144 सीपीसी के निर्णय व वादपत्र में एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण में बहादुर खां कोई पक्षकार नहीं था इसलिये वह धारा 144 सीपीसी की कार्यवाही को आपत्ति करने का अधिकारी भी नहीं है इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्रदान नहीं किया जा

सकता है। ऐसे में जब बहादुर खां का कोई हक अधिकार उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वह अपील करने का भी अधिकारी नहीं है यदि उसका कोई अधिकार बनता है तो वह अलग से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है किंतु इस प्रकरण में जो कि धारा 144 सीपीसी के तहत पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने से संबंधित है उसे चुनौती देने का अधिकारी नहीं बनता है इस कारण से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रकरण संख्या 60/2006 अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 उम्दा द्वारा जगदीश चंद्र आदि के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण को दिनांक 29.04.2010 को डिक्री कर उमदा को ग्राम नौसर जिला अजमेर स्थित खसरा नम्बर 73 रकबा 03–09 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2010 के विरूद्ध अपील जगदीशचन्द्र द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील को दिनांक 06.09.2011 को निरस्त किया गया। इसके उपरांत उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 6388/2011 जगदीशचंद्र बनाम उमदा प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाहीयों को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को नए सिरे से साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 से प्रकरण में पारित पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2010 निरस्त हो जाने से उसके पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल किए जाने हेतु रेस्पोडेंट जगदीशचंद्र द्वारा धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो बाद में न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त प्रकरण का न्यायालय हाजा द्वारा जब अवलोकन किया गया तो पाया कि जब बहादुर खां द्वारा प्रकरण में वादपत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था और डिक्री की अपील में पक्षकार ही नहीं था इसलिए अपीलांट धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के प्रकरण में वह पक्षकार संयोजित किए जाने का अधिकारी नहीं है ना ही धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। बहादुर खां न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी था ना ही प्रकरण में प्रतिवादी था तथा उसके द्वारा एवं उसके विरूद्ध न तो कोई अनुतोष चाहा गया था और न ही कोई अनुतोष मांगा गया था। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2019 में भी बहादुर खां पक्षकार नहीं था अर्थात् न तो बहादुर खां के द्वारा कोई दावा प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त की गई और न ही बहादुर खां के विरूद्ध कोई निर्णय व डिक्री पारित की गई इसलिए अपीलांट/बहादुर खां द्वारा धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध अपील करने के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा सिविल वाद संख्या 113/2024 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 94/2024 न्यायालय अपर जिला

न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिसमें प्रार्थना पत्र 94/2024 का निर्णय दिनांक 30.01.2025 को हो चुका है। बहादुर खां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थना पत्र संख्या 94/2024 दिनांक 30.01.2025 का निर्णय क्या हुआ अर्थात उक्त निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से संबंधित है अथवा नहीं अपीलांट द्वारा इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 139 दिनांक 07.04.2000 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष लंबित होने का भी उल्लेख किया है परंतु धारा 144 सीपीसी में न्यायालय को केवलमात्र पूर्व में पारित डिक्री की पालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 73 की जांच की जानी थी क्योंकि उक्त डिक्री को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसे में डिक्री निरस्त हो जाने से उसकी पालना में दर्ज नामांतरकरण भी स्वतः निरस्त हो चुका है।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार हीं नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर अपना उपचार मांग सकता है। अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में ऐसे कोई समुचित कारण अंकित नहीं किए है व ना ही किसी प्रकार के कोई समुचित दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, जिससे वह पीडित व व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हो। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का न्यायालय हाजा द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

2016आर0बी0जे 318

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908- Section 96- *Permission for filing an appeal cannot be given to a person, who is not aggrieved by the decree and judgment in the case.*

2016 आर0बी0जे 378

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908- Section 96- *Permission for filing an appeal cannot be granted to the person who is not aggreived by the Impunged order.*

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किये जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 305/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर